

प्रेसनोट दिनांक 05.02.2024

- दिनांक 04.02.2024 को वादी श्री संजय मौर्या प्र०नि० थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अनूप कुमार चौधरी पुत्र जुग्गीलाल नि० पिलखावां थाना रौनाही अयोध्या पूर्व से जेल 2. फिरोज आलम पुत्र जमीन हसन नि० बेतवाला काशीपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु फर्जी तरीके से खुद को भारत सरकार के रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर फर्जी व कुटरचित दस्तावेजों पर भारत सरकार के अशोक स्तम्भ चिन्ह का प्रयोग कर अनुचित लाभ अर्जित करना व आम जनमानस से ठगी करने जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 27/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.02.2024 को वादी श्री नितिन यादव पुत्र महेन्द्र कुमार नि० पलिया थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अंशू सिंह पुत्र प्रदीप सिंह नि० कुरावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या 2. बलराम पुत्र सुदामा नि० कुरावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या दोनों गिर०३. अरमान पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात अभि०गण द्वारा वादी के लोहे का गेट चोरी कर ले जाते हुए पकड़े जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 34/24 धारा 379, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.02.2024 को वादी उ०नि० श्री ब्रम्हदत्त पाण्डेय थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विशाल दूबे पुत्र स्व० प्रवीण कुमार दूबे नि० मिल्कीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 46/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 04.02.2024 को वादी उ०नि० मो० इद्रीश खान थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवलाल धोबी पुत्र साहबबक्श नि० ढेमा थाना असन्द्रा बाराबंकी गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 12/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।